

**लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)**

पीठारीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 17/ 2022
GCMS NO. : 2022/78

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री प्रवीण कुमार कंसारा,
निवासी मुकेश प्रिंटर एस.बी.सी गर्वमेंट
कॉलेज के सामने, राज मेडिकल के पास,
डूंगरपुर (राज.) 314001

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

बनाम अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005


दिनांक :- 23-12-2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 14.10.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 24-11-2022 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रभारी अधिकारी (भूअ) ने उनके पत्रांक 7803-7805 दिनांक 06.12.2022 से जवाब प्रस्तुत हुआ। जिसमें उल्लेख किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2022 से तहसीलदार घाटोल, उपखण्ड अधिकारी घाटोल को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित किया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया है।

दिनांक 21.12.2022 को तहसीलदार घाटोल, उपखण्ड अधिकारी घाटोल को नोटिस जारी किये गये। प्रभारी अधिकारी (भूअ) बांसवाड़ा ने पत्रांक भूअ/ प 3 (25) 2017/ 8328-8330 दिनांक 23.12.2022 से अवगत कराया कि इस कार्यालय से की गई कार्यवाही मय कार्यालय टिप्पणी पत्रांक 8293-95 दिनांक 22.12.



(Handwritten signature)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)




2022 से अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना प्रेषित कर दी गई है। तहसीलदार घाटोल द्वारा उनके पत्रांक 158 दिनांक 23.12.2022 से जवाब प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी घाटोल ने पत्रांक 1267-1268 दिनांक 22.12.2022 से अवगत कराया कि अपीलार्थी को पत्रांक 1078-81 दिनांक 19.10.2022 से तहसीलदार घाटोल के पत्रांक 140 दिनांक 18.10.2022 से प्राप्त सूचना मूल ही जरिये स्पीड पोस्ट प्रेषित की गई है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2022 एवं मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील संख्या CIC/BANS/A/2021/108494 में निर्णय दिनांक 26.08.2022 तथा प्रभारी अधिकारी (भूअ) जिला कलक्टर कार्यालय बॉसवाडा, उपखण्ड अधिकारी घाटोल, तहसीलदार घाटोल द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना एवं पत्राचार की प्रतियो, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहसं का अवलोकन कर उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी (भूअ) जिला कलक्टर कार्यालय बॉसवाडा ने उनके पत्रांक भू. अ/ प 3 (25) 2017/ 8293-95 दिनांक 22.12.2022 के द्वारा उनके कार्यालय से की गई कार्यवाही मय कार्यालय टिप्पणी की सूचना निःशुल्क प्रेषित कर अपीलार्थी को सूचित किया है। उपखण्ड अधिकारी घाटोल ने भी तहसीलदार घाटोल से सूचना प्राप्त कर पत्रांक 1078-81 दिनांक 19.10.2022 से जरिये स्पीड पोस्ट प्रेषित की है। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी घाटोल को आदेशित किया जाता है कि मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वितीय अपील संख्या CIC/BANS/A/2021/108494 में निर्णय दिनांक 26.08.2022 के बिन्दु सं. 10 की पालना में प्रकरण की जाँच कर प्रभारी अधिकारी (भूअ) जिला कलक्टर कार्यालय बॉसवाडा को तत्काल भिजवावे। प्रभारी अधिकारी (भूअ) जिला कलक्टर कार्यालय बॉसवाडा जाँच रिपोर्ट प्राप्त करे तथा अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, प्रभारी अधिकारी (भूअ) जिला कलक्टर कार्यालय बॉसवाडा, उपखण्ड अधिकारी घाटोल, तहसीलदार घाटोल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS
जिला कलक्टर
लोक सूचना अधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)